समाहरणालय, समस्तीपुर
समस्तीपुर–848101
(आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

दूरभाष सं0:– 06274–222300 (का0)
06274–222301 (आ0)
फैक्स सं0 :– 06274–222216
email:- dm-samastipur.bih@nic.in

क्रयादेश

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1354/आ०प्र० दिनांक 30.03.2016 के आलोक में संभावित बाढ़ 2016 के मद्देनजर पॉलीथीन शीट्स क्रय हेतु इस कार्यालय का पत्रांक 422/आ०प्र०, दिनांक 05.05.2016 द्वारा निविदा का प्रकाशन कराया गया था। उक्त के में आलोक में प्राप्त निविदा को दिनांक 31.05.2016 को जिला क्रय समिति के समक्ष खोला गया। प्राप्त निविदा में मे० सनहित पॉलीमर, श्रीनिकेतन रोड, पोस्ट– बोलपुर, जिला वीरभूम पश्चिम बंगाल 731204 का निविदा सबसे कम दर 142.00 (एक सौ बियालिस) प्रति किलोग्राम स्वीकृत किया गया। दिनांक 31.05.2016 को जिला क्रय समिति की बैठक में लिए गये निर्णय एवं संबंधित फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत एकरारनामा के आलोक में निम्नांकित विशिष्ट एवं विवरणों के अनुरूप उक्त फर्म को 5000 पीस पॉलीथीन शीट्स आपूर्ति का आदेश इस कार्यालय के ज्ञापांक 580/आ०प्र० दिनांक 02.07.2016 दिया गया था। पुनः विभागीय पत्रांक 3175/आ०प्र०, दिनांक 24.08.2016 के आलोक में निम्न प्रकार अतिरिक्त पॉलीथीन शीट्स आपूर्ति का आदेश दिया जाता है।

क्र०	आपूर्तिकर्त्ता/फर्म का नाम एवं पता	आपूर्ति किए जाने वाले सामग्री का नाम	गुणवत्ता	आकार	मात्रा	दर
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanhit Polymer, Bolpur, West Bangal (DGS&D) निबंधन संख्या DGS&D/ Regn/ Kol /S-3441/09/04935, बिहार वैट Tin No. 10083817053, PAN No-AAQFS2264N	Low Density Polyethyline Black sheets 250 micron IS 2508	D.G.S&D. द्वारा निर्धारित गुणवत्ता का	4×5 पीस	5000	142.00 (एक सौ बियालीस रूपये) प्रति किलोग्राम सभी कर अधिभार, शुल्क, परिवहन व्यय सहित

2. आपूर्तिकर्त्ता को पॉलीथीन शीट्स की आपूर्ति D.G.S.&D. के निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप करनी होगी।
3. आपूरित पॉलीथीन शीट्स CIPET Haldiya प० बंगाल, द्वारा निरीक्षित एवं प्रमाणित होना चाहिए तथा तत्संबंधी सत्यापन प्रमाण–पत्र अलग से आपूर्तिकर्त्ता फर्म को उपलब्ध कराना होगा। इसके बिना आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान नहीं किया जायेगा।
4. आपूर्तिकर्त्ता को आदेशित सामग्री (निर्दिष्ट गुणवत्ता, आकार एवं मात्रा में) की आपूर्ति आदेश निर्गत होने के दस दिनों के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, समस्तीपुर में करनी होगी, जिसमें विफल होने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
5. आपूर्ति हेतु कोई अग्रिम एवं परिवहन शुल्क देय नहीं होगा।
6. आपूरित सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा से संतुष्ट होनेपर आवश्यक करों की कटौती के उपरान्त ही चेक/बैंक ड्राफ्ट से भुगतान किया जायेगा।

ह०/–
जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर।

ज्ञापांक 834/आ०प्र०, समस्तीपुर दिनांक 29 अगस्त 2016 ई०

प्रतिलिपिः– मे० सनहित, पॉलिमर, सिटी ऑफिस – II पोलौक स्ट्रीट, तृतीय मंजिल कमरा नं० – 3B/1 कोलकात्ता–700001, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय श्रीनिकेतन रोड, बोलपुर, वीरभूम पश्चिम बंगाल 7312014 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– CIPET HALDIYA प० बंगाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी० समस्तीपुर/ आई०टी० मैनेजर, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश को समस्तीपुर जिला के वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

28/8/16

जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर।